तारीख	रेफरेन्स प्रकरण संख्या 251/2018 जीसीएमएस नम्बर 2018/00315 अनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम मुरली मनोहर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2024	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2019 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया ग्राम धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 1237 रकबा 2.5673 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसकी किस्म कभी भी नदी, नाला नहीं रही है उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायायल जोधपुर द्वारा अब्दूल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में पेश किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त आराजी नदी नाला की होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में केवल खसरा संख्या ही अंकित किया है इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने प्रकरण में क्या अनुतोष चाहा है, किस आवंटन/नियमन आदेश तथा नामान्तरकरण संख्या का निरस्त करवाने हेतु प्रकरण पेश किया है, यह प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नहीं है केवल एक निर्धारित प्रिटेंट प्रारूप में खानापूर्ति कर आधी अधूरी जानकारी के साथ बिना किसी दस्तावेजात के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज योग्य है। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 1237 रकबा 2.5673 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है लेकिन पूर्व में जैर आराजी डोली भूमि थी, जिसे पुनः डोली भूमि दर्ज करवाने बाबत् यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जैर आराजी नदी, नाला नहीं होने का कथन किया है जबकि उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र डोली भूमि से सम्बन्धित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। जैर प्रार्थना पत्र में तत्समय उपलब्ध दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस मुख्य रूप से कथन किया कि जैर आराजी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि रही है, जिसकी किस्म बारानी अव्वल है उक्त भूमि की किस्म कभी भी नदी, नाला नहीं रही है। अधिवक्ता अप्रार्थी के उक्त उज्र का विरोध करते हुए सरकारी पैरोकार ने कथन किया जैर प्रार्थना पत्र डोली भूमि से सम्बन्धित है, जिसका अंकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया गया है। प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे जैर आराजी किस्म की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जैर रेफरेन्स नदी, नाला अथवा डोली भूमि, किस बाबत् पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा किस आवंटन/नियमन आदेश एवं नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु पेश किया है, का कही भी स्पष्ट	

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

तारीख	रेफरेन्स प्रकरण संख्या 251/2018 जीसीएमएस नम्बर 2018/00315 अनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम मुरली मनोहर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अंकन नहीं है अर्थात् प्रार्थी द्वारा जैर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में क्या अनुतोष चाहा गया है, यह स्पष्ट नहीं है। लिहाजा दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वक्त आवंटन जैर आराजी डोली भूमि अथवा उसकी किस्म गैर मुमकिन नदी थी। आवंटन की पात्रता का निर्धारण वक्त आवंटन भूमि की किस्म से किया जाना है, जबकि वक्त आवंटन भूमि की किस्म के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। उपरोक्तानुसार हम अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को रेफरेन्स किये जाने के लिए कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं पाते है। साथ ही प्रार्थी द्वारा जैर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में क्या अनुतोष चाहा गया है, यह भी स्पष्ट नहीं है। अतएव अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जाता है। यदि जैर आराजी डोली भूमि अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिबधिंत भूमि की श्रेणी में आती है, तो प्रार्थी जैर आराजी से सम्बन्धित समस्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर उनके वर्तमान पत्ते एवं जैर आराजी से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजो के साथ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पुनः पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner